

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4552
दिनांक 27 मार्च, 2025

उत्तर प्रदेश में नए पेट्रोल पंपों का आवंटन

4552. श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश भर में नए पेट्रोल पंपों के आवंटन की वर्तमान योजना का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार व्यौरा क्या है;
- (ख) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित और आवंटित पेट्रोल पंपों की वर्षवार कुल संख्या कितनी है;
- (ग) पात्रता, स्थान चयन और अन्य उपयुक्त कारकों सहित नए पेट्रोल पंपों के आवंटन के लिए निर्धारित मानदंड और दिशानिर्देश क्या हैं;
- (घ) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितने पेट्रोल पंप बंद किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ.) लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुदूर, ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ङ) : दिनांक 01.04.2002 से प्रशासित मूल्य व्यवस्था (एपीएम) को विघटित करने के बाद, खुदरा बिन्नी केन्द्र (आरओ) डीलरों का चयन/निरस्तीकरण सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) द्वारा स्वयं ही किया जाता है।

पीएसयू ओएमसीज द्वारा आरओ नेटवर्क (शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में) का विस्तार करना एक सतत प्रक्रिया है जिससे देश भर में पेट्रोल और डीजल जैसे मोटर ईंधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। क्षेत्र सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर पीएसयू ओमसीज द्वारा पहचानें गए स्थलों पर आरओज की स्थापना की जाती है। पर्याप्त संभाव्यता वाले स्थल और आर्थिक रूप से व्यवहार्य स्थलों पर आरओज स्थापित करने के लिए इसे विपणन योजना में नामांकित किया जाता है। आरओ डीलरशिप का चयन निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार पात्र आवेदकों के बीच लॉटरी ड्रॉ/बोली की ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करते हुए सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से पीएसयू ओएमसीज द्वारा किया जाता है। देश में आरओ डीलरशिपों के आवंटन के लिए विस्तृत मानदंड/दिशानिर्देश www.petrolpumpdealerchayan.in/perol-2023 वेबसाइट पर उपलब्ध है।

दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार, पीएसयू ओएमसीज के पास ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में 4757 आरओज सहित कुल 11413 आरओज का नेटवर्क है।

पीएसयू ओएमसीज ने उत्तर प्रदेश सहित देश भर में आरओ डीलरों के चयन के लिए जून और जुलाई, 2023 में विज्ञापन जारी किया है। उक्त विज्ञापन के तहत उत्तर प्रदेश में 3,534 आरओज के लिए आशय-पत्र

(एलओआई) जारी कर दिए गए हैं जिसमें से दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार 558 आरओज कमीशन कर दिए गए हैं।

गत पांच वर्षों (वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24) और चालू वर्ष (अप्रैल-फरवरी, 2025) के दौरान उत्तर प्रदेश में पीएसयू ओएमसीज द्वारा कमीशन किए गए आरओज की कुल संख्या के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

पीएसयू ओएमसीज	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (अप्रैल-फरवरी 25)	कुल
	458	1124	863	589	586	844	4464

पीएसयू ओएमसीज ने बताया है कि दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में अस्थायी रूप से 305 गैर-प्रचालनरत आरओज हैं जो विभिन्न कारकों के कारण गैर-प्रचालनरत हैं जैसे कि डीलर के वित्त संबंधी मुद्दे, व्यापार लाईसेंस का स्थगन, पारिवारिक विवाद, कम ब्रिक्रियां, भागीदारों के बीच विवाद आदि शामिल हैं।
